कार्यालय नगर निगम देहरादून

वेबसाइट–www.nagarnigamdehradun.com
ई–मेल: nagarnigam.ddn@gmail.com
टोल फ्री नं0 - 1800-180-4153, कन्ट्रोल रूम - 1800–180–4206

डिस्कलेमर

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत नगर निगम द्वारा निःशुल्क व ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन मांग सर्वेक्षण/आवेदन किया जाता है पात्र लाभार्थियों द्वारा स्वयं भी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाईड के माध्यम से ऑन लाईन पंजीकरण किया जा सकता है। आवास योजना के तहत आवेदन की प्रकिया पूर्णतः निःशुल्क है। सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना– शहरी अन्तर्गत किसी प्रकार से निजि संस्था एवं व्यक्ति को प्राधिकृत नहीं किया है। सम्मानित नागरिकों को यह परामर्श दिया जाता है कि इस सम्बंध में किसी प्रकार का भ्रम या संदेह होने के मामले में नगर निगम कार्यालय से सत्यापन कर सकते हैं। कुछ लाभार्थियों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि कुछ व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम अनाधिकृत ढंग से प्रयोग किया जा रहा है तथा आवास दिलाने के नाम पर अवैध ढंग से धनराशि लेने की सूचना प्राप्त हो रही है। कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम अथवा प्रतीक चिहन (लोगो) का अनाधिकृत रूप से उपयोग करता पाया जाता है तो वह कानूनी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक संख्या – 1896/PMAY/2019-20 दिनांक 11/02/2020

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकार देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. विज्ञापन प्रबन्धक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान को देहरादून सिटी एडिशन में नगर निगम हेतु अनुमन्य दर पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
4. श्री मनिष पत, आई0टी0 आफिसर को बेवसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।